



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082022-238311
CG-DL-E-23082022-238311

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3809]
No. 3809]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 2022/भाद्र 1, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 2022/BHADRA 1, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2022

का.आ. 3983(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 सितम्बर, 2022 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 38 से धारा 43 तक, धारा 45क से धारा 45ज तक, धारा 46 से धारा 73 तक, धारा 74 से धारा 75 तक, धारा 76 की उप-धारा (2) से उप-धारा (4) तक, धारा 82 और धारा 83 के उपबंध ओडिशा राज्य के कलाहांडी जिले के संपूर्ण क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एस-38013/06/2022-एसएस-1]
आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2022

S.O. 3983(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of September, 2022, as the date on which the provisions of sections 38 to 43, sections 45A to 45H, sections 46 to 73, sections 74 to 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, sections 82 and 83 of the said Act shall come into force in all the areas of Kalahandi district in the State of Odisha.

[F. No. S-38013/06/2022-SS-I]
ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Adviser

5699 GI/2022